33. अनुज्ञा का व्यपगत होना

ऐसी प्रत्येक अनुज्ञा, जो धारा 31 या धारा 32 के अधीन दी गई हो, उसके ऐसे दिये जाने की तारीख से [1][तीन वर्ष] की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगी और उसके पश्चात् यह व्यपगत हो जायेगीः

परन्तु संचालक, आवेदन किया जाने पर, ऐसी कालावधि को वर्षानुवर्ष बढ़ा सकेगा किन्तु कुल कालावधि उस तारीख से, जिसको कि अनुज्ञा आरम्भ में दी गई थी, किसी भी दशा में [2][पांच वर्ष] से अधिक नहीं होगीः

---

1. अधिनियम क्र. 8 सन् 1996 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिनियम क्र. 8 सन् 1996 द्वारा प्रतिस्थापित।

परन्तु यह और भी कि ऐसा व्यपगत होना इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञा के लिये किसी पश्चात्वर्ती आवेदन का वर्जन नहीं करेगा।

34. भूमि अर्जित करने के लिये बाध्यता–

(1) जहां किसी भूमि को किसी योजना द्वारा–

(क) नगर विस्तार या नगर सुधार के प्रयोजन के हेतु विकास के लिये, या

(ख) संघ या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या इस अधिनियम के अधीन गठित किये गये किसी विशेष प्राधिकारी के प्रयोजना के हेतु विकास के लिये, या

(ग) राजमार्ग या लोकोपयोगी सेवा के रूप में विकास कि लिये अनिवार्य अर्जन के अध्यधीन होना अभिहित किया गया हो,

और उस भूमि का स्वामी–

(एक) वह दावा करता हो कि वह भूमि अपनी वर्तमान स्थिति में युक्तियुक्त रूप से फायदाप्रद उपयोग के लिये अयोग्य हो गई है, या

(दो) जहां भूमि का विकास करने की अनुज्ञा शर्तो के अध्यधीन रहते हुए दी गई हो वहां यह दावा करता हो कि अनुज्ञात विकास को उस शर्त कि अनुसार कार्यान्वित करके भूमि को युक्तियुक्त रूप से फायदाप्रद उपयोग के योग्य नहीं बनाया जा सकता,

(तीन) यह दावा करता हो कि उस भूमि को अर्जन या विकास के लिये अभिहित किये जाने कारण उस भूमि का मूल्य कम हो गया है,

तो स्वामी, सरकार पर ऐसे समय के भीतर, ऐसी रीति में तथा ऐसी दस्तावेजों के साथ, जैसी कि विहित की जायें, एक सूचना तामील कर सकेगा जिसमें समुचित प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जायगी कि वह भूमि में के हित का इस अभिनियम के उपबन्धों के अनुसार क्रय कर ले।

(2) उपधारा (1) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर, राज्य सरकार, संचालक तथा समुचित प्राधिकारी से ऐसी रिपोर्ट या ऐसे अभिलेख या दोनों, जैसे आवश्यक हों, तत्काल मंगायेगी, जिसे/जिन्हें कि ये प्राधिकारी यथासंभव शीघ्र किन्तु उनकी अध्यपेक्षा की तारीख से अधिक से अधिक तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को भेजेंगे।

(3) ऐसे अभिलेख या ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार–

(क) यदि उसका यह समाधान हो जावे कि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट की गई शर्ते पूरी हो गई हैं और यह कि अनुज्ञा के लिये सम्यक् रूप से आदेश या विनिश्चिय इस आधार पर नहीं किया गया था कि आवेदक ने इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध का अनूपालन नहीं किया, तो वह सूचना की पुष्टि कर सकेगी या यह निर्देश दे सकेगी कि अनुज्ञा शर्तो के बिना या ऐसी शर्तो के, जो कि भूमि को य ुक्तियुक्त रूप से फायदाप्रद उपयोगों के योग्य बना देंगी, अध्यधीन रहते हुए दी जाय,

(ख) किसी अन्य मामले में, सूचना की पुष्टि करने से इंकार कर सकेगी, किन्तु उस दशा में आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायगा।

(4) यदि उस तारीख से, जिसको कि सूचना की तामील की गई हो, एक वर्ष की कालावधि के भीतर, राज्य सरकार उस पर कोई अन्तिम आदेश पारित न करें, तो यह समझा जायगा कि उस कालावधि का अवसान हो जाने पर उस सूचना की पुष्टि कर दी गई है।

(5) सूचना की पुष्टि हो जाने पर राज्य सरकार ऐसी पृष्टि के एक वर्ष की कालावधि के भीतर उस भूमि को या उस भूमि के उस भाग को जिसके कि सम्बन्ध में सूचना की पुष्टि कर दी गई हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अर्जित करने के लिये अग्रसर होगी।